

पैन के लिए दिशानिर्देश सीआर →

<https://tin.tin.nsdl.com/pan/correction.html>

<https://tin.tin.nsdl.com/pan/GuidelinesCorr.html>

नये पैन कार्ड या/और पैन डेटा में परिवर्तन या संशोधन (पैन परिवर्तन के लिए अनुरोध फॉर्म) के लिए अनुरोध हेतु ऑन-लाइन आवेदन

## दिशानिर्देश

### 1. ऑन-लाइन आवेदन के चरण

(क) ऑन-लाइन पैन परिवर्तन का अनुरोध निम्नलिखित के लिए उपलब्ध नहीं है :

**\* सरकारी संगठन**

(ख) आवेदक पैन परिवर्तन के लिए अनुरोध फॉर्म ऑन-लाइन भरेगा और फॉर्म प्रस्तुत करेगा.

(ग) यदि प्रस्तुत डेटा किसी फॉर्मेट वैधीकरण स्तर पर प्रस्तुत नहीं हो पाते हैं तो गलती को इंगित करते हुए संदेश स्क्रीन पर दिखाई देगा.

(घ) आवेदक गलती को ठीक करेगा और फॉर्म पुनः प्रस्तुत करेगा.

(ङ) यदि फॉर्मेट स्तर की कोई गलती नहीं है तो आवेदक द्वारा भरे गये डेटा का पुष्टिकरण स्क्रीन दिखाई देगा.

(च) यदि आवेदक इस डेटा में कोई संशोधन करना चाहता है तो वह एडिट विकल्प को चुन सकता है अन्यथा पुष्टि विकल्प चुनेगा.

(छ) **पैन डेटा में परिवर्तन या संशोधन के लिए** फॉर्म में सभी अनिवार्य फील्ड (\* तारांकित किये हुए) को भरें और जहां संशोधन करवाना है वहां पर बांये मार्जिन में उचित फील्ड के बॉक्स को चुनें.

(ज) यदि आवेदन आवेदक के पैन से संबद्ध डेटा में किसी परिवर्तन के बिना पैन कार्ड पुनः जारी करने के लिए है तो फॉर्म के सभी फील्ड भरें लेकिन बांये मार्जिन के किसी भी बॉक्स को न चुनें.

(झ) पैन डेटा में परिवर्तन या संशोधन के अनुरोध अथवा पैन डेटा में किसी परिवर्तन के बिना पैन कार्ड पुनः जारी करने के अनुरोध की स्थिति में आवेदन में दिये गये पत्र-व्यवहार के पते के आधार पर आईटीडी डेटाबेस में पत्र-व्यवहार के पते को अद्यतन कर दिया जायेगा.

(ज) **पैन निरस्त करने के लिए** फॉर्म में सभी अनिवार्य फील्ड भरें, जिस पैन को निरस्त करना है वह फॉर्म की मद संख्या 10 में लिखें और बायें मार्जिन पर बॉक्स को चुनें. जो पैन निरस्त किया जाना है वह फॉर्म पर सबसे ऊपर लिखा पैन (वर्तमान में प्रयुक्त) नहीं होना चाहिए.

(ट) 'आधार'

मामले में व्यक्तिगत आवेदक का आधार संख्या आवेदन प्रपत्र में दर्ज किया जाता है, दस्तावेजों के समर्थन के साथ-साथ 'आधार' की तो सबूत एनएसडीएल ई-शासन को प्रस्तुत किया जाना है। आधार कार्ड की प्रतिलिपि जन्म की पहचान / पता / तिथि के प्रमाण के रूप में चयन किया जाता है, तो यह आधार संख्या दर्ज करने के लिए अनिवार्य है। यदि आवेदक 'मामूली' है, नाबालिग के आधार आवेदन पत्र में उल्लेख किया जाना चाहिए। (यानी प्रतिनिधि निर्धारिती के आधार संख्या का उल्लेख नहीं है) आधार संख्या (बशर्ते हो) आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि आवेदक के विवरण का उपयोग कर प्रमाणीकृत किया जाएगा।

## II. भुगतान

(ठ) यदि पत्र-व्यवहार का पता भारत के भीतर का है.

(क) पैन आवेदन को प्रोसेस करने की फीस 110.00 ₹. (93.00 ₹. + 18% वस्तु और सेवा कर) है.

(ख) भुगतान निम्नलिखित में किसी भी रूप में किया जा सकता है:

- डिमांड ड्राफ्ट
- क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड
- नेट बैंकिंग

(ग) यदि कोई एक पता अर्थात् कार्यालय का पता या आवासीय पता विदेश का है तो भुगतान **केवल मुंबई में देय डिमांड ड्राफ्ट** से किया जा सकता है.

(ड) यदि पत्र-व्यवहार का पता भारत के बाहर का है:

(ii) पैन आवेदन को प्रोसेस करने की फीस 1020.00 ₹. [आवेदन फीस 93.00 ₹. + भेजने का खर्च 771.00 ₹.] + 18% वस्तु और सेवा कर है.

(iii) भुगतान केवल **मुंबई में देय डिमांड ड्राफ्ट** से किया जा सकता है.

(iii) वर्तमान में यह सुविधा केवल चुनिंदा देशों के लिए उपलब्ध है.

अन्य देशों के आवेदक नीचे बिन्दु (vi) में दिये गये संपर्क विवरण के लिए एनएसडीएल से संपर्क करें.

(ढ) डिमांड ड्राफ्ट /चेक 'एनएसडीएल - पैन' के नाम से आहरित होना चाहिए.

(ण) डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आवेदक का नाम और प्राप्ति सूचना के नंबर लिखे होने चाहिए.

(त) एनएसडीएल को भेजे जाने वाले डिमांड ड्राफ्ट मुंबई में देय होने चाहिए.

(थ) क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग द्वारा भुगतान

जो व्यक्ति क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग के द्वारा भुगतान करने के लिए प्राधिकृत हैं वे निम्नानुसार हैं:

आवेदक की श्रेणी	निम्नलिखित के द्वारा / के लिए क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग के द्वारा भुगतान किया जा सकता है
व्यक्ति	स्वयं, परिवार के नजदीकी सदस्य ( माता-पिता, पति-पत्नी, बच्चे)
एचयूएफ	एचयूएफ का कर्ता
कंपनी	कंपनी का कोई निदेशक
फर्म	फर्म का कोई साझेदार
व्यक्तियों का संघ/ व्यक्तियों का निकाय/ व्यक्तियों का संघ ट्रस्ट/ कृत्रिम विधिक व्यक्ति/ स्थानीय प्राधिकरण	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 140 के अंतर्गत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जो आवेदक क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड के द्वारा भुगतान करेंगे उनसे भुगतान गेटवे की सुविधा प्रदान करने वाले बैंक द्वारा 2% (+वस्तु और सेवा कर) तक का अतिरिक्त अधिभार वसूल किया जायेगा.

जो आवेदक नेट बैंकिंग के द्वारा भुगतान करेंगे उनसे भुगतान गेटवे की सुविधा प्रदान करने वाले बैंक द्वारा 4.00 ₹. + वस्तु और सेवा कर का अतिरिक्त अधिभार वसूल किया जायेगा.

क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग द्वारा ठीक प्रकार से भुगतान करने पर प्राप्ति सूचना दिखाई देगी. आवेदक प्राप्ति सूचना को सेव कर उसका प्रिंट लेगा और नीचे

बिन्दु 'V - दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का तरीका ' में बताये अनुसार एनएसडीएल को भेजेगा.

(द) आवेदक भुगतान का उचित तरीका चुनेगा और संबंधित विवरण आवेदन में भरेगा.

### III. प्राप्ति सूचना

(घ) पुष्टि होने पर और क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग द्वारा भुगतान (ठीक तरह से भुगतान) करने की स्थिति में स्क्रीन पर प्राप्ति सूचना दिखाई देगी. इस प्राप्ति सूचना में निम्नलिखित विवरण होगा:

- 15 अंक का विशिष्ट प्राप्ति सूचना नंबर
- आवेदक की श्रेणी
- स्थायी खाता संख्या (पैन)
- आवेदक का नाम
- पिता का नाम (व्यक्तियों के मामले में)
- जन्म तिथि/निगमन/ करार/ साझेदारी या ट्रस्ट विलेख/ व्यक्तियों के निकाय/व्यक्तियों के संघ का गठन
- पत्र-व्यवहार का पता
- फोटोग्राफ के लिए स्थान ('व्यक्तियों' के मामले में)
- भुगतान का विवरण
- हस्ताक्षर के लिए स्थान
- पहचान और पते के प्रमाण का विवरण

प्राप्ति सूचना में वह फील्ड भी निर्दिष्ट किया जायेगा जिसमें परिवर्तन/संशोधन के लिए अनुरोध किया गया है.

### (न) आवेदक प्राप्ति सूचना को सेव कर उसका प्रिंट लेगा.

(प) "पैन परिवर्तन के लिए अनुरोध आवेदन" प्रस्तुत करने वाले 'व्यक्तियों' को प्राप्ति सूचना में दिये गये स्थान पर हाल का **रंगीन** फोटोग्राफ (आकार 3.5 सेमी X 2.5 सेमी) का चिपकाना होगा. प्राप्ति सूचना पर फोटोग्राफ को स्टेपल या क्लिप न लगाई जाये. (पैन कार्ड की सफाई फॉर्म पर लगाई गई फोटो की गुणवत्ता और स्पष्टता पर निर्भर करेगी).

(फ) हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान प्राप्ति सूचना में दिये गये बॉक्स की भीतर ही रहना चाहिए. हस्ताक्षर फोटोग्राफ पर नहीं होने चाहिए. यदि फोटोग्राफ पर ऐसा कोई निशान है जिससे आवेदक के चेहरे की स्पष्टता छुपती है तो ऐसा आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा.

(ब) अंगूठे के निशान, यदि लगाया गया है तो इसे मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक या राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए और उसकी आधिकारिक मुहर लगानी चाहिए.

#### IV. दस्तावेज प्रस्तुत करने का तरीका

(भ) डिमांड ड्राफ्ट यदि कोई हो, के साथ विधिवत् हस्ताक्षरित प्राप्ति सूचना, फोटोग्राफ (व्यक्तियों के मामले में) के साथ, मौजूदा पैन का प्रमाण, पहचान और पते का प्रमाण मय विनिर्दिष्ट कोई अन्य प्रमाण, जैसाकि आवेदन में निर्दिष्ट (मद संख्या IV - आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज में) किया गया है, एनएसडीएल को निम्नलिखित पते पर भेजना चाहिए:

**आयकर पैन सेवा इकाई, एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 5वीं मंजिल, मंत्री स्टर्लिंग, प्लॉट नं. 341, सर्वे नं. 997/8, मॉडल कालोनी, दीप बंगला चौक के पास, पुणे - 411 016.**

(म) लिफाफे के ऊपर 'पैन में परिवर्तन के लिए अनुरोध आवेदन - प्राप्ति सूचना नंबर' (अर्थात् 'पैन में परिवर्तन के लिए अनुरोध हेतु आवेदन - 8810102000097')

(य) आपकी प्राप्ति सूचना, डिमांड ड्राफ्ट यदि कोई हो, और प्रमाण ऑन-लाइन आवेदन की तारीख से 15 दिन के भीतर एनएसडीएल के पास पहुंच जाने चाहिए.

(र) भुगतान के तरीके के रूप में डिमांड ड्राफ्ट के साथ प्राप्त आवेदनों को संबंधित प्रमाण प्राप्त होने और भुगतान की वसूली होने पर ही प्रोसेस किया जायेगा.

(ल) भुगतान के तरीके के रूप में क्रेडिट कार्ड के साथ प्राप्त आवेदनों को संबंधित दस्तावेज (प्राप्ति सूचना और प्रमाण) प्राप्त होने पर प्रोसेस किया जायेगा.

#### V. हमसे संपर्क करें:

(व) अधिक जानकारी के लिए

❖ टिन काल सेन्टर में 020-2721 8080 पर फोन करें ;

❖ फैक्स: 020-2721 8081

- हमें ई मेल करें : [tininfo@nsdl.co.in](mailto:tininfo@nsdl.co.in)
- ❖ एसएमएस करें NSDLPAN <स्थान छोड़े> प्राप्ति सूचना नंबर टाइप करें और आवेदन की स्थिति जानने के लिए 57575 पर भेज दें.
- ❖ या हमें लिखें : आय कर पैन सेवा इकाई, (एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 5वीं मंजिल, मंत्री स्टर्लिंग, प्लॉट नं. 341, सर्वे नं. 997/8, मॉडल कालोनी, दीप बंगला चौक के पास, पुणे - 411 016.

परिवर्तन के लिए अनुरोध फॉर्म भरने के लिए विस्तृत अनुदेशों के लिए यहां **क्लिक** करें.  
प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों के बारे में विस्तृत अनुदेशों के लिए यहां **क्लिक** करें.